

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-22602
संख्या:18-एसआई(लिपिक)-271-2014(बृजमोहन) दिनांक:लखनऊ:फरवरी 03, 2023

आदेश

पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) बृजमोहन पीएनओ-960020155 मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ द्वारा सिविल अपील संख्या:3406/1998 आर०के० सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक:23.04.1991 एवं उच्च न्यायालय तथा मा० न्यायाधिकरण के पारित विभिन्न निर्णयों के आलोक में याची को प्रदत्त दण्डादेश अपास्त हो जाने के कारण पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर चयन वर्ष 2014 की रिक्ति के सापेक्ष उक्त कर्मी को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में उ०प्र० शासन से 01 अधिसंख्य पद के सृजन की शासकीय स्वीकृति मुख्यालय स्तर से मांगी गयी थी, जिसके क्रम में उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-6-1001(002)/3/2021-1 दिनांक 08.12.2022 द्वारा चयन वर्ष 2014 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के 01 अधिसंख्य पद के सृजन की शासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। चयन वर्ष 2014 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के 01 अधिसंख्य पद के सृजन की शासकीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर याची को चयनवर्ष 2014 की रिक्ति के सापेक्ष नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने पर विचार किये जाने हेतु प्रकरण भर्ती बोर्ड को सन्दर्भित किया गया था।

2. अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्या: पीआरपीबी-तीन-5(10)2016, दिनांक: 30.01.2023 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत चयन समिति द्वारा उक्त कर्मी को चयन वर्ष 2014 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर नोशनल पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने तथा पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उनके नाम के सम्मुख अंकित पूर्व चयन वर्ष में उनके वरिष्ठ/कनिष्ठ कर्मी की तिथि से पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	चयन वर्ष	जनपद / इकाई
1	960020155	बृजमोहन	स्व० राम चरण	2014	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ

3. उक्त आदेश की प्रति उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है। सम्बन्धित इकाई उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से डाउनलोड कर नोशनल पदोन्नति आदेश का कियान्वयन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा अनुपालन से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज)

पुलिस अधीक्षक, लखनऊ

उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिदेशक के जीएसओ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ।

3- पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह आदेश की एक प्रति पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) बृजमोहन पीएनओ-960020155 मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित लेकर उसकी प्रति इस मुख्यालय को वापस करने का कष्ट करें।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002
संख्या:18-एसआई(लिपिक)-271-2014(बृजमोहन) दिनांक:लखनऊ:फरवरी 03, 2023

आदेश

इस मुख्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 03.02.2023 द्वारा निम्नलिखित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) को उनके नाम के सम्मुख अंकित चयन वर्ष के सापेक्ष उनके कनिष्ठ की तिथि से पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया है:-

क्र०सं०	पीएनओ	कर्मि का नाम	पिता का नाम	चयन वर्ष	जनपद/इकाई
1	960020155	बृजमोहन	रम राम चरन	2014	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ

2. इस मुख्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: .02.2023 द्वारा उक्त पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) को उनके कनिष्ठ कर्मि की तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान करने के फलस्वरूप पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) चयन वर्ष 2014 में चयनित कर्मियों के वरिष्ठता क्रम में पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर इनकी वरिष्ठता यथा-स्थान निर्धारित की जाती है। इस नोशनल पदोन्नति से पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) बृजमोहन को कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा। यह आदेश मात्र उनकी संयुक्त वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्गत किया जा रहा है।

वरिष्ठ/कनिष्ठ	नाम/पदनाम	पीएनओ	भर्ती तिथि	चयन वर्ष
वरिष्ठ	श्रीमती रागिनी सेठ	960990016	23-11-1996	2014
बृजमोहन	बृजमोहन	960020155	23-11-1996	2014
कनिष्ठ	वृजेश कुमार तिवारी	960560604	23-11-1996	2014

3. आदेश की प्रति उ०प्र० पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है। समस्त सम्बन्धित जनपद/इकाई उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से डाउनलोड कर नोशनल पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा अनुपालन से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज)
पुलिस अधीक्षक, स्थापना

उत्तर प्रदेश
03/02/23

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ।
- 3- पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह आदेश की एक प्रति पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) बृजमोहन पीएनओ-960020155 मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित लेकर उसकी प्रति इस मुख्यालय को वापस करने का कष्ट करें।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-22602
संख्या:18-एएसआई(लेखा)-271-2014(लाल बचन) दिनांक:लखनऊ:फरवरी 02, 2023

आदेश

पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) लाल बचन सिंह पीएनओ-870620344 जनपद सुलतानपुर द्वारा निर्देश याचिका संख्या-663/2016 लाल बचन सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2016 एवं अवमानना याचिका संख्या-286/2016 में पारित आदेश दिनांक 20.10.2016 के अनुपालन में याची को प्रदत्त दण्डादेश संख्या-द-197/2009(दण्ड) दिनांक 13.02.2010 पुलिस उपमहानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र द्वारा अपीलीय आदेश दिनांक 25.01.2017 द्वारा अपास्त कर दिये जाने के फलस्वरूप याची को पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) के पद पर चयन वर्ष 2014 की रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में 01 अधिसंख्य पद के सृजन की शासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन से 01 अधिसंख्य पद के सृजन की शासकीय स्वीकृति मुख्यालय स्तर से मांगी गयी थी, जिसके क्रम में उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-6-1001(002)/3/2021-1 दिनांक 08.12.2022 द्वारा चयन वर्ष 2014 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के 01 अधिसंख्य पद के सृजन की शासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। चयन वर्ष 2014 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के 01 अधिसंख्य पद के सृजन की शासकीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर याची को चयनवर्ष 2014 की रिक्ति के सापेक्ष नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने पर विचार किये जाने हेतु प्रकरण भर्ती बोर्ड को सन्दर्भित किया गया था।

2. अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्या: पीआरपीबी-तीन-5(10)2016, दिनांक: 30.01.2023 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत चयन समिति द्वारा उक्त कर्मी को चयन वर्ष 2014 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के पद पर नोशनल पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने तथा पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उनके नाम के सम्मुख अंकित पूर्व चयन वर्ष में उनके वरिष्ठ/कनिष्ठ कर्मी की तिथि से पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	चयन वर्ष	जनपद / इकाई
1	870620344	लाल बचन सिंह	स्व० गुनेश्वर सिंह	2014	सुलतानपुर

3. उक्त आदेश की प्रति उ०प्र० पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है। सम्बन्धित इकाई उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से डाउनलोड कर नोशनल पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा अनुपालन से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(सत्यार्थ अचिरुद्ध मंजु)
पुलिस अधीक्षक, शांति,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ।
- 3-पुलिस महानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र।
- 4- पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह आदेश की एक प्रति पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) लाल बचन सिंह पीएनओ-870620344 जनपद सुलतानपुर को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित लेकर उसकी प्रति इस मुख्यालय को वापस करने का कष्ट करें।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002
संख्या:18-एएसआई(लेखा)-271-2014(लाल बचन) दिनांक:लखनऊ:फरवरी 03,2023

आदेश

इस मुख्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक:03.02.2023 द्वारा निम्नलिखित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) को उनके नाम के सम्मुख अंकित चयन वर्ष के सापेक्ष उनके कनिष्ठ की तिथि से पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया है:-

क्र०सं०	पीएनओ	कर्मि का नाम	पिता का नाम	चयन वर्ष	जनपद/इकाई
1	870620344	लाल बचन सिंह	स्व० गुनेश्वर सिंह	2014	सुलतानपुर

2. इस मुख्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 02.2023 द्वारा उक्त पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) को उनके कनिष्ठ कर्मि की तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान करने के फलस्वरूप पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) चयन वर्ष 2014 में चयनित कर्मियों के वरिष्ठता क्रम में पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के पद पर इनकी वरिष्ठता यथा-स्थान निर्धारित की जाती है। इस नोशनल पदोन्नति से पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) लाल बचन सिंह को कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा। यह आदेश मात्र उनकी संयुक्त वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्गत किया जा रहा है।

वरिष्ठ/कनिष्ठ	नाम/पदनाम	पीएनओ	भर्ती तिथि	चयन वर्ष
वरिष्ठ	रमेश चन्द्र	870800016	16-11-1987	2014
यात्री	लाल बचन सिंह	870620344	28-11-1987	2014
कनिष्ठ	राम नाथ सिंह	872240245	21-12-1987	2014

3. आदेश की प्रति उ०प्र० पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है। समस्त सम्बन्धित जनपद/इकाई उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से डाउनलोड कर नोशनल पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा अनुपालन से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकरज)
पुलिस अधीक्षक/स्थापन
उत्तर प्रदेश 03.02.23

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ।

3-पुलिस महानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र।

4- पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह आदेश की एक प्रति पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) लाल बचन सिंह पीएनओ-870620344 जनपद सुलतानपुर को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित लेकर उसकी प्रति इस मुख्यालय को वापस करने का कष्ट करें।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-22602

संख्या:18-एसआई(लिपिक)-271-2020(सुशील गौतम)

दिनांक:लखनऊ:फरवरी 03, 2023

आदेश

पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) सुशील कुमार गौतम पीएनओ-980520013 जीआरपी अनुभाग आगरा द्वारा निर्देश याचिका संख्या-1252/2020 सुशील कुमार गौतम बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक:04.02.2022 के आलोक में याची को प्रदत्त दण्डादेश अपास्त हो जाने के कारण पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर चयन वर्ष 2020 की रिक्ति के सापेक्ष उक्त कर्मी को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में उ०प्र० शासन से 01 अधिसंख्य पद के सृजन की शासकीय स्वीकृति मुख्यालय स्तर से मांगी गयी थी, जिसके क्रम में उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-6-1001(002)/3/2021-1 दिनांक 08.12.2022 द्वारा चयन वर्ष 2020 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के 01 अधिसंख्य पद के सृजन की शासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। चयन वर्ष 2020 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के 01 अधिसंख्य पद के सृजन की शासकीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर याची को चयनवर्ष 2020 की रिक्ति के सापेक्ष नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने पर विचार किये जाने हेतु प्रकरण भर्ती बोर्ड को सन्दर्भित किया गया था।

2. अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्या: पीआरपीबी-चार-10(11)2020, दिनांक: 30.01.2023 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत चयन समिति द्वारा उक्त कर्मी को चयन वर्ष 2020 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर नोशनल पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने तथा पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उनके नाम के सम्मुख अंकित पूर्व चयन वर्ष में उनके वरिष्ठ/कनिष्ठ कर्मी की तिथि से पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	चयन-वर्ष	जनपद/इकाई
1.	980520013	सुशील कुमार गौतम	स्व० राम प्रकाश गौतम	2020	जी०आर०पी० आगरा

3. उक्त आदेश की प्रति उ०प्र० पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है। सम्बन्धित इकाई उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से डाउनलोड कर नोशनल पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा अनुपालन से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न: धोखा पत्र का प्रारूप

(सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकरज)

पुलिस अधीक्षक, स्थापना,

उत्तर प्रदेश

03/02/23

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे उ०प्र० लखनऊ।

3- पुलिस अधीक्षक, रेलवे, जीआरपी अनुभाग आगरा को इस आशय से प्रेषित कि वह आदेश की एक प्रति पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) सुशील कुमार गौतम पीएनओ-980520013 जीआरपी अनुभाग आगरा को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित लेकर उसकी प्रति इस मुख्यालय को वापस करने का कष्ट करें।

स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)-----पुत्र

निवासी-----

थाना-----

जनपद-----

वर्तमान में(जनपद/इकाई)-----नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0-----धारा-----थाना-----जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

2-- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान-
दिनांक:-

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002
संख्या:18-एसआई(लिपिक)-271-2020(सुशील गौतम) दिनांक:लखनऊ:फरवरी 03, 2023

आदेश

इस मुख्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 03.02.2023 द्वारा निम्नलिखित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) को उनके नाम के सम्मुख अंकित चयन वर्ष के सापेक्ष उनके कनिष्ठ की तिथि से पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया है:-

क0सं0	पीएनओ	कर्मि का नाम	पिता का नाम	चयन वर्ष	जनपद / इकाई
1	980520013	सुशील कुमार गौतम	स्व0 राम प्रकाश गौतम	2020	जी0आर0पी0 आगरा

2. इस मुख्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 03.02.2023 द्वारा उक्त पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) को उनके कनिष्ठ कर्मि की तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान करने के फलस्वरूप पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) चयन वर्ष 2020 में चयनित कर्मियों के वरिष्ठता क्रम में पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर इनकी वरिष्ठता यथा-स्थान निर्धारित की जाती है। इस नोशनल पदोन्नति से पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) सुशील कुमार गौतम को कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा। यह आदेश मात्र उनकी संयुक्त वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्गत किया जा रहा है।

वरिष्ठ / कनिष्ठ	नाम / पदनाम	पीएनओ	भर्ती तिथि	चयन वर्ष
वरिष्ठ	राजेश कुमार रावत	982770074	02-06-1998	2020
याची	सुशील कुमार गौतम	980520013	04-06-1998	2020
कनिष्ठ	प्रदीप कुमार	980020063	06-06-1998	2020

3. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है। समस्त सम्बन्धित जनपद / इकाई उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से डाउनलोड कर नोशनल पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा अनुपालन से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(सत्यार्थ अचरुद्ध पंकरज)

पुलिस अधीक्षक, स्थापना,

उत्तर प्रदेश 03.02.23

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- पुलिस अधीक्षक, रेलवे, जीआरपी अनुभाग आगरा को इस आशय से प्रेषित कि वह आदेश की एक प्रति पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) सुशील कुमार गौतम पीएनओ-980520013 जीआरपी अनुभाग आगरा को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित लेकर उसकी प्रति इस मुख्यालय को वापस करने का कष्ट करें।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002
संख्या:18-एसआई(लेखा)-271-2020(सुबोध) दिनांक:लखनऊ:फरवरी ,2023

आदेश

इस मुख्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 03.02.2023 द्वारा निम्नलिखित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) को उनके नाम के सम्मुख अंकित चयन वर्ष के सापेक्ष उनके कनिष्ठ की तिथि से पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया है:-

क0सं0	पीएनओ	कर्मि का नाम	पिता का नाम	चयन वर्ष	जनपद/इकाई
1	990510015	सुबोध कुमार सिंह	स्व0 अमर पाल सिंह	2020	इटावा

2. इस मुख्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 03.02.2023 द्वारा उक्त पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) को उनके कनिष्ठ कर्मि की तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान करने के फलस्वरूप पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) चयन वर्ष 2020 में चयनित कर्मियों के वरिष्ठता क्रम में पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के पद पर इनकी वरिष्ठता यथा-स्थान निर्धारित की जाती है। इस नोशनल पदोन्नति से पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लेखा) सुबोध कुमार सिंह को कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा। यह आदेश मात्र उनकी संयुक्त वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्गत किया जा रहा है।

वरिष्ठ/कनिष्ठ	नाम/पदनाम	पीएनओ	भर्ती तिथि	चयन वर्ष
वरिष्ठ	इजराइल अली खाँ	990580012	01-04-1999	2020
याची	सुबोध कुमार सिंह	990510015	19-04-1999	2020
कनिष्ठ	कमलेश सिंह चौहान	990780018	10-05-1999	2020

3. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है। समस्त सम्बन्धित जनपद/इकाई उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से डाउनलोड कर नोशनल पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा अनुपालन से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(सत्यार्थ अनिलकुंद पंकज)

पुलिस अधीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन।

3-पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र।

4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को इस आशय से प्रेषित कि वह आदेश की एक प्रति पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लेखा) सुबोध कुमार सिंह पीएनओ-990510015 जनपद इटावा को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित लेकर उसकी प्रति इस मुख्यालय को वापस करने का कष्ट करें।

स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ) _____ पुत्र

_____ निवासी _____ थाना _____ जनपद _____

वर्तमान में (जनपद/इकाई) _____ नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई _____ में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक: _____ को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0 _____ धारा _____ थाना _____ जनपद _____ में लम्बित है, जिसमें दिनांक: _____ को स्थानीय पुलिस अथवा जॉर्ज एजेन्सी _____ द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में _____ स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान-
दिनांक:-

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-22602
संख्या:18-एएसआई(लेखा)-271-2020(सुबोध)

दिनांक:लखनऊ:फरवरी 03, 2023

आदेश

पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लेखा) सुबोध कुमार सिंह पीएनओ-990510015 जनपद इटावा द्वारा निर्देश याचिका संख्या-867/2021 सुबोध कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक:09.02.2022 के आलोक में याची को प्रदत्त दण्डादेश अपारस्त हो जाने के कारण पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के पद पर चयन वर्ष 2020 की रिक्ति के सापेक्ष उक्त कर्मी को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में उ0प्र0 शासन से 01 अधिसंख्य पद के सृजन की शासकीय स्वीकृति मुख्यालय स्तर से मांगी गयी थी, जिसके कम में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-6-1001(002)/3/2021-1 दिनांक 08.12.2022 द्वारा चयन वर्ष 2020 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के 01 अधिसंख्य पद के सृजन की शासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। चयन वर्ष 2020 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के 01 अधिसंख्य पद के सृजन की शासकीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर याची को चयनवर्ष 2020 की रिक्ति के सापेक्ष नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने पर विचार किये जाने हेतु प्रकरण भर्ती बोर्ड को सन्दर्भित किया गया था।

2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्या: पीआरपीबी-चार-10(13)2020, दिनांक: 30.01.2023 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत चयन समिति द्वारा उक्त कर्मी को चयन वर्ष 2020 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के पद पर नोशनल पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने तथा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उनके नाम के सम्मुख अंकित पूर्व चयन वर्ष में उनके वरिष्ठ/कनिष्ठ कर्मी की तिथि से पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	चयन वर्ष	नियुक्ति जनपद
1	990510015	सुबोध कुमार सिंह	स्व0 अमर पाल सिंह	2020	इटावा

3. उक्त आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है। सम्बन्धित इकाई उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से डाउनलोड कर नोशनल पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा अनुपालन से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

लेखनक: दीपिका पत्र का प्रारंभ

(सत्यार्थ अनिल कुमार शंकर)

पुलिस अधीक्षक, स्थापना

उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन।

3-पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र।

4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को इस आशय से प्रेषित कि वह आदेश की एक प्रति पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लेखा) सुबोध कुमार सिंह पीएनओ-990510015 जनपद इटावा को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित लेकर उसकी प्रति इस मुख्यालय को वापस करने का कष्ट करें।